Indira Awas Yojna, Nehru Rozgar Yojna etc.

अनुसंधान और विकास के संबंध में मसाला बोर्ड और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वय के अभाव का प्रभाव

1156. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसाला बोर्ड और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वयन का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप मसाला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) से (घ) मसाला क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड/वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट के बीच कारगर समन्वय है । भारतीय मसाला अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों सहित कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों को मसाला बोर्ड तथा मसाला बोर्ड की अनुसंधान और विकास समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है । इसी प्रकार, मसाला बोर्ड के वैज्ञानिकों तथा वरिष्ठ कार्यकारियों को अनुसंधान सलाहकार समिति तथा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्टॉफ अनुसंधान परिषद की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है ।

इस समन्वयन को और सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम तथा सदस्य (कृषि), योजना आयोग की अध्यक्षता में प्रबंध का गठन किया गया है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, मसाला बोर्ड योजना आयोग, आई.सी.ए.आर. तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि शमिल है ।

Export of levy rice meant for Weaker Section

1157. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had decided some time back to export levy rice meant for supply to weaker section of the country through Public Distribution System;

(b) the reasons therefore; and

(c) to what extent supply of rice to weaker section was affected as a result of such decision?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH) (a) to (c) In view of the comfortable stock position of rice in the Central Pool the Government has authorised FCI to export/sell for the purpose of export upto 3 million tonnes of fine and superfine rice during 1995-96 in order to reduce the carrying cost of surplus stocks and make available the storage space for on-going-ensuing procurement. The huge stocks at present accumulated in the public stocks held by the FCI comprises both levy rice and rice milled out of paddy procured under the Price Support operation by the FCI and St;itc Agencies. The ceiling for export of rice has been fixed after taking into account the requirement to run the Public Distribution System (PDS) and Revamped Public Distribution System (RPDS) under which the offtake of rice has been far less than what has been allotted to the States/Union Territories. Therefore, the decision to export a portion of stock has not affected the PDS consumers including weaker sections**